विधि

स्कृत शिक्षा विभाग, मध

पुष्ट क्रआंक . ़ि.

विषयं उल्ल्यू पी. 484/2016 द्वारा श्री कमलेश सिंह कौरव

नस्ती क्र. वि रिक्ट /2014/26

विषयः न्यायालयीन प्रकरण कमांक हब्ल्यू.पी. ४८४ / २०१६ द्वारा श्री कमलेश सिंह कौरंव विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में ओ.आई.सी. की नियुक्त करने के संबंध

विषयांतर्गत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर से प्राप्त याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 484/2016 द्वारा श्री कमलेश सिंह कौरव विरुद्ध म.प्र. शासन (संलञ्न) का अवलोकन हो। याचिका जिला शिक्षा केन्द्र, जिला भिण्ड से संबंधित है। प्रकरण जिला परियोजना समन्वयक, भिण्ड को ओ.आई.सी. बनाया जाना उचित है। अतः ओ.आई.सी.

आदेश नस्ती में नीचे रखकर हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत।

आदेश नस्ती में नीचे रखकर हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत।

आदेश नस्ती में नीचे रखकर हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत।

अवन जिमिन से संबंधिकर है। 20CB) हममा ७१८ भारेशहरतायाश्राम

HOINID (XID)

राज्य शिक्षा केन्द्र, मोपाल

6961AMD I HU7/COM12016

(शीला दारिया) चीचित गौड़ गुक्रेफी

आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र 10/03

5 / रागिरं /अतर्नेता-विक्ति / वया /2016/1994-35 कापाक पिगंड 14 रह

राज्य जिल्ला केन्द्र

शासा .. निर्माद्धः :

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश

पुष्ट क्रमांक ०२ नस्ती क्र.वि रिश् /१०१५/24

विषय. W.P. 484/2016 3721 अर् 34 ना मिंह अरब

मूर्व पूष्ठ N/1 पर अनुमेदन अनुमा 01 ८ शारेश पारी किया गया अनिरक्षण आदेश हेत महति विश्वा विभाग के दिन जरना न्यांडों। ID (P) on town

AMD(\$D)

(शीला दाहिना) अपर मिशन संशालप

पाज्य शिक्षा केन्य

-रक्रिके—22-5-15**—500 पै**ष्टस (100×1) पत्येक

Process Id: <u>3345/2016</u>

18 A 2016 WP/484/2016

From

Deputy Registrar, High Court of MP Bench at Gwalior

To,

The State of Madhya Pradesh Thr, Principal Secretary, Department of School Education, Vallabh Bhawan, Bhopal, District-Bhopal (MADHYA PRADESH),

FOR ADMISSION <u>Fixed for 08-03-2016</u> <u>DA- 04</u>

Respondent No. 1
RAD
RAD
RAD
RAD
RAD

Gwalior 01-02-2016

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 484/ 2016

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Kamlesh Singh Kaurav** has filed a petition under Article 226/227 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/484/2016**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **08-03-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)

Encl: Copy of MADHYA DE

Your faithfully

SECTION OFFICER
Section Officer
High Court Of Madhya Pradesh
Bench Gwalier

AFFIXED AT GWALIOR

3

IN THE HIGH COURT OF MADRIES PRADERE BENCH AT GWALLOR

WRIT PETITION NO. /2016 (PIL)

PETITIONER:

Kamicah Singh Kauray

RESPONDENTS:

State of Madhya Pradesh & Ors.

LIST OF EVENTS

30.3.2009

As the Govt. Middle School is running in the building

of Girls Primary School, the Collector allots land for

the building of Middle School.

6.11.2012 : The State Government releases the 1st installment of

funds for the building.

Till date

Despite repeated reminders of the Gram panchayat

and of the petitioner who is a ex-Sarpanch, the site

has not been cleared by the State authorities

resultingly the construction work has not been started

till date.

Date:

19 /01/2016

Humble petitioner, Through counsel,

> (Vivek Jain) Advocate -

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH AT GWALIOR

WRIT PETITION NO.

484

/2016 (PIL)

PETITIONER:

Kamlesh Singh Kaurav

RESPONDENTS:

State of Madhya Pradesh & Ors.

S.No.		Description Annexure No.		Page No.	
1.	Memo of petition	•	• • • • •	01 to 06	
2.	Affidavit thereto			07 to 08	
3.	List of documents		:	09	
4.	Copy of certificate	" :	P-1	10	
S Case	Copy Minds dated	70:3: 20 09	912	41-42	
6.	Copy of bank statem	ent	P-3	13	
7.	Copy of representati	on	P-4	14	
8.	Copy of representati	ion	P-5	13-	
9	Copy of representati	ion	P-6	16	
10.	Copy of representati	ion	P-7	17	
11.	Copy of complaint		P-8	48-43	
12.	Copy of forwarding i	etter	P-9	20	
13.	Vakelatnama	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. • • • •	a١	

Date: 19 /01/2016

Humble petitioner Through counsel,

> (Vivek Jain) Advocate

IN THE RIGH COURT OF MADRIA PRADUCE BENCH AT GWALIOR

WRIT PETITION NO. 484 /2016 (PIL)

PETITIONER:

Kamlesh Singh Kaurav S/o Shri Nemab Singh Kaurav, Age-48 years, occupation-Agriculture, R/o Village Chirol, Panchayat Dandraua, Tehsil Mehgaon, Distt. Bhind (MP)

٧s

RESPONDENT:

- State of Madhya Pradesh, through the Principal Secretary, Department of School Education, Vallabh Bhawan, Shopal (MP)
- 2. The Collector, Distt. Bbind (MP)
- The Distt. Project Coordinator, Sarva Shiksha Abhiyan, Distt. Bhind (MP)
- 4. The District Education Officer, Distt. Bhind (MP)
- The Gram Panchayat-Dandraua, Tehsil Mehgaon, Distt. Bhind (MP); tarough its Sarpanch

Writ petition under Articles 226/227 of the Constitution of India for issuance of a writ of mandamus and/or certiorari and/or any other suitable writ, order or direction in the nature of writ for doing justice in the matter.

The humble petitioner most respectfully submits this petition as under:

(1) PARTICULARS OF THE ORDER AGAINST WHICH THIS PRITITION IS BEING PREFERRED:

Date of Order

∽ Nil

Passed in

* Nil

Passed by

: Nil

Subject matter

The petitioner is not aggrieved by any particular order, but is aggrieved by the illegal and arbitrary inaction of the authhorities of the State Government who are not taking any steps for construction of Middle School Building in the village despite the said building having been allotted land in 2009 and even the first installment of Rs.3.09 lacs released by the Government in 2012.

All the children of the village are suffering due to non-availability of building for the school just because the site clearance has not been done by the administration, resulting in which the construction work has not been started by the

(2) THE ANTECEDENTS OF THE PENTIONER:

That, the petitioner is a agriculturist and social worker of the village and has remained interested in welfare of the village. He has been a Sarpanch of the Panchayat from 2010-Jan. 2015.

The petitioner is interested in ensuring that the Middle SChool building gets constructed so that the children of the village get access to better quality of education.

The petitioner is filing this petition at his own will and not at the instance of any other person. The litigation cost including counsel fees and travelling expences, etc are being borne by the petitioner himself.

(3) FACTS IN BRIEF, CONSTITUTING THE CAUSE:

Brief facts giving rise to this petition are as under:

- 3.1 That, the petitioner is a socially active resident of village Chiral under Gram Panchayat Dandraua. The petitioner has remained Sarpanch of the village upto December 2014.
- 3.2 That, there are two separate Govt. Primary Schools in the village for boys and girls. Initially there was no middle school in the village. A few years ago, a middle school was sanctioned and opened in the village by the Government.
- 3.3 That, there was no building for the Middle School, hence, for the time being, it started to be run in the building of Girls Primary School on temperary basis. A copy of the certificate regarding running of the Middle School in the building of the Girls Primary School is annexed herewith and marked as Annexure P/1.
- 3.4 That, a separate building was very much required because the running of Co-educational Middle School in the building of Girls Primary School is damaging both the institutions. The Girls Primary School cannot run properly and the Co-ed Middle School also cannot properly function because the building and infrastructure, equipments, etc. of the Girls Primary School is not sufficient for the pupose of the proper running of Middle School.
- 3.5 That, land was allotted for construction of a separate Middle School building by the Collector in case No.09/08-09/A-59 vide order dated 30.3.2009. A copy of the order is annexed herewith and marked as <u>Annexere F/2</u>. An area of 0.10 hectare in survey No.182 was allotted.
- 3.6 That, thereafter the State also released funds for the school. The first installment of Rs.3.09 lacs was deposited in the account of the Gram Panchayat (construction agency) on 6.11.2012. A copy of the bank statement of the Gram panchayat is annexed herewith and marked as Assacrare P/S.
- 3.7 That, as soon as the funds were made available by the State, some miscreants of the village who did not want the school to be constructed, stored their dung-cakes and other waste on

- the allotted land. As a result, the construction work could not start as the site needed clearance.
- 3.8 That, at the relevant time, the petitioner was the Sarpanch. He brought the matter to the notice of the authorities of the administration repeatedly. Copies of the representations dated 2.4.2013 and 18.6.2013 are annexed herewith and marked as Annexure P/4 & P/5.
- 3.9 That, no action was taken by the authorities for site clearance, resultingly, the construction work could not commence. The petitioner demitted office in December 2014.
- 3.10 That, even after demitting office, the petitioner has been taking up the matter with the authorities in his capacity as a informed citizen of the village. He has submitted umpteen number of representations for site clearance so that the construction work can commence. Copies of the representations submitted to Public Grievances Cell dated 19.12.2015 and 5.1.2016 are annexed herewith and marked as Annexure P/6 & P/7.
- 22.12.2015 and submitted complaint in "Jan Surwai". A copy of the complaint is annexed herewith and marked as Annexure P/8. However, the Collector simply relied the ball and the complaint was forwarded to the respondent No.3, however, no action has been taken by any of the authorities till date. A copy of letter forwarding the complaint is annexed herewith and marked as Annexure P/9.
- 3.12 That, education upto 14 years of age is a fundamental right under Article 21-A of the Constitution and the State authorities in this case are acting in a matter to defeat the said fundamental right of the children of the village.
- 3.13 That, simply because of utter apathy and negligence of the administrative authorities; the school building has not been constructed despite receiving the budget about three years ago and the village is being deprived of a important facility.

.

3.14 That, the administration has been informed to clear the size but just to appease the persons who do not want the school to be constructed, the authorities are avoiding to clear the size and facilitate construction of school building.

(4) SOURCE OF INFORMATION:

The entire matter is in the personal knowledge of the petitioner being the resident of the village and ex-Sarpanch.

(5) HATURE AND EXTEST OF DEJURY CAUSED/APPRENEEDED:

By the construction of Middle School building having not been made by the authorities despite its sanction and release of funds, the children of the village are suffering because they cannot get access to good quality education.

6. ISSUE RAISED WAS NEITHER DEALT WITH NOR DECIDED:

The petitioner declares that the issue raised by him in this petition was earlier not raised by them before any other court or authority/tribunal. He has not filed any PIL in the past, hence the question of awarding/impacing the costs, appreciated the stricture does not arise.

7. ANY REPRESENTATION, ETC. MADE:

The representations have duly been made vide annexure P/4, P/5, P/6, P/7 and P/8, the detailes of which are narrated in factual paras.

8. GROUNDS:

That, in view of detailed legal submissions made in the factual paras and in para-1, no separate narration of grounds is necessary to avoid repetition.

9. DETAILS OF REMEDIES EXHAPSTED :

The petitioners have no other statutory alternative remedy.

10. DELAY, IF ANY, IN FILING OF THE PETITION:

There is no delay in filing the present writ petition.

11. RELIEP(S) PRAYED FOR :

The petitioner, therefore, most humbly prays that this Hon'ble Court may kindly be pleased to allow this petition thereby issuing a writ of mandamus against the respondents in public interest thereby granting the following reliefs to the petitioners in general public interest:-

- the respondents No. 1 to 4 be directed to ensure that the Middle School building is constructed within a stipulated time limit by clearance of site by the administration,
- i) any other relief deemed fit in the facts and circumstances of the case doing justice in the matter including costs be also awarded.

12. INTERIM ORDER, IF PRAYED:

The petitioner further prays that pending final decision of this petition, the respondents No. 1 to 5 be directed to take all steps required for construction of already sanctioned school building.

23. CATERNA

That, no notice of lodging of any caveat by the opposite party has been received by the petitioners so far.

Date: /9 /43/2016

Humble Petitioners through ofunsel,

> (Vivek Jain) Advocate

IN THE HIGH COURT OF MADRYA PRADES BENCH AT GWALIOR

WRIT PETITION EO.

/2016 (PE)

PETITIONER:

Kamlesh Singh Kauray

Vs.

RESPONDENTS:

State of Madhya Pradesh & Osa.

AFFIDAVIT

Name *

Kamlesh Singh Kaurav

Father's Name

Shri Nawab Singh Kauray

48 Years,

Occupation

Agriculture,

Resident of

Village Chirol, Panchayat Dandraua, Tehsil

Mehgaon, Distt. Bhind (MP)

I, the abovenamned deponent do hereby state on oath and affirm as under:-

- That, I am the petitioner and this petition is being filed being aggrieved by the inaction of the State authorities in clearing the site for construction of school building of the village.
- That, this petition under article 226 of the Constitution of India is being filed by way of public interest litigation and I have no personal interest in the matter, apart from being resident of the village. This petition is being filed in larger public interest at large for the benefit of village students. I am filing this petition on my own will and not at the instance of someone clee.
- That, the petition has been got prepared by me under my instructions, contents of which have been read over by me which I have understood.
- That, the submissions made in para 1,2,3 and 4 are formal in nature and true and correct to the best of my personal knowledge.
- That, contents of para 3 are the factual part of the petition and are true and correct to the best of my personal knowledge.
- That, the legal submissions made in the petition are based on legal advise sought by me from my counsel and believed to be true.

क्रमल्या हिंह कीरह

That, the documents annexed to the petition are true copies of the originals.

DEPONENT

VERIFICATION/AFFIRMATION:

I, the abovenamed deponent, do verify and affirm on oath that the contents of this affidavit from para 1 to 5 are true and correct to the best of my personal knowledge and no part of it is false, nor anything is concealed therein. Hence, verified on this 19 day of

2016 at Gwalior.

That by we.

(wiret fell.)

अर्थ कमलेश शिंह कीरव इव संरपंच कामभंधायत एक दर्शका न्याम - त्यरीत (CH AT - 1205 CAT 45).

विषम ने जाय कान्य विचान कार्य के व्यातम् के अम्वन्द्र- भा।

उन्तर विभग में भिवेदन है कि शास्त्र भाग निवासा विश्वी में वर्ष २००३- ०५ से स्वीद्य रुवं संचाति है। वर्षमान में आ मार विद्या । विद्या मार का मान विभिन्न के होने के कारका अगर कन्मा प्राण विस्तान चित्रीत में कागर जार असे है।

J. Times Head Master Mengage athere (M.P.)

Kamicsh Singh Kaura

RESPONDENTS:

State of Madhya Pradesh & Ors.


LIST OF DOCUMENTS

S.N	o. Draggiption	Annexure No.	Page No.
1.	Copy of certificate	P-I	
2.	Copy of order dated 30.3,2009	P-2	
3.	Copy of bank statement	P-3	
4.	Copy of representation	P-4	
5.	Copy of representation	P-5	
6.	Copy of representation	P-6	
7.	Copy of representation	P-7	
8.	Copy of complaint	P-8	
9.	Copy of forwarding letter	P-9	

Date: /9 /01/2016

Humble petitioner Through counsel,

> (Vivek Jain) Advocate



NAME

Amount > or = :	Amount 4 or # :		
Dr.JCr.Summations : N:No	Transaction Type :	99.All Financial Tran	
Details of Dr./Cr.Summations : N:No	Next Transaction Number:		
S.No. Type Post-Dt Jr	Jrni.No. Valuation	- XBOTH	
1. 1 30/06/14 958718554 30 2 1 31/12/13 951800360 31 3 1 30/06/13 960372484 30 4 1 31/12/12 972868450 31 5 1 06/11/12 38690368 06	16.09 CR 92.00 CR 67.00 CR 96.00 CR	2.00 CP 6.00 CR 3.00 CR 6.00 CR	CREDIT INTEREST CREDIT INTEREST CREDIT INTEREST CREDIT INTEREST CREDIT INTEREST CREDIT INTEREST

ग्राम पंचायत दंदरी आ

वि. खं. मेंहमांब, जिला मिण्ड (म.प्र.)

कमलेशसिंह कीरव

सरपंच



निवास : विशेष कर्धालयः-ः प्राप स्वश्रुप मतन, दंवरीआ मोबा.:- 9826212171

प्रति

श्रीमान एस है एक कर्रा व

विषय:-

ग्राम पंचायत दंदरीआ के ग्राम चिरौल में प्रस्तावित शां० मां० शाला मवन की जगह को अतिक्रमण से मुक्त कराने तथा आम रास्ता अवरूद करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही वावत।

महोदय,

Willing CAI

निवेदन है कि ग्राम पंचायत दंदरीआ के ग्राम चिरौल में शा0 मा0 शाला भवन की जगह है उक्त जगह पर विद्यालय का निर्माण करना है। शासन से निर्माण हेत् राशि भी प्राप्त हो

। उक्त शासकीय मी० शाला की जगह पर अनावेदकगण विशासर सिंह, प्रीक्षास विह पुत्रमण अनदे राम सिंह देवेन्द्र सिंह, लालू पुत्रगण जगन्नाथ सिंह द्वारा कण्डे इक्टे लगाकर और छतरी बना ली है। जाबिक श्रीमान कलेक्टर महोदय भवदय के प्रकरण क्रमांक 02/09/10 अ 59 आदेश दिनांक 19/04/12 को शासकीय शाला भवन निर्माण हेत् जगह आरक्षित की थी जिसके आदेश की फोटो कॉपी प्रति प्रमाण के तोर पर संलग्न है। तथा तहसीलदार महोदय द्वारा दिनांक 22/05/11 को थाना प्रमारी मो को निर्देशित कर उक्त जगह पर कोई निर्माण कार्य न करने तथा उक्त जगह को अतिक्रमण से मुक्त करने हेत् लिखा था । जिसके आदेश की भी फोटो कॉपी सलग्न है।

इस प्रकार शा0 मा0 विद्यालय भवन की राशि पंचायत निधि में होने के बाबजूद भी अनावेदक गण उक्त जगह से कण्डे और छत्तरी नहीं हटा रहे हैं। शां0 शाला का निर्माण अतिशिर्घ कराया जाना ही तथा उक्त जगह पर अनावेदकगण का अतिकमण एवं आम रास्ता चिरौल से मंडरौली पर रास्ता अवरुद्ध मिटटी डालकर पानी रोक दिया गया है। जिसे अति शीघ्र हटाया जा कर अनावेदक गणो के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हेतु शाना प्रभारी मौ एवं बरिस्ठ अधिकारीयों को लिखा जाना नियाय संगत है।

अतः श्रीमानाजी से निवेदन है कि ग्राम चिरौल में शाल मां विव शाला के जगह से अवैध अतिक्रमण के कण्डे एवं छतरी तथा ग्राम चिरौल से मंडरौली के आम रास्ता का अधिकारीयों को निर्देशित कर अनावेक्रगणों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने की कपा करें ।

क्रमकरगिह कमलेश सिंह कौरव

ग्राम पंचायत दंदरीआ

वि. खं. मेहगांव, जिला निण्ड (म.प्र.)



क्रमलेशसिंह कौरव



निवास: चिरौल कार्यालय :--

ग्राम स्वराज भवन, दंवरीआ मोबा.:- 9826212171

1 संस्थित दिशांश का नाम...

2. BREST ISE STOTELY तरकाल कार्यवर्ती कर की गई कार्यकरों न ब्रह्म कार्यालय को नाम नरावें। 3. कार्यक्री की अन्द

दिषय -

ग्राम पंचायत दंदरीआ के ग्राम बिरोल में प्रस्तावित शा0 मा0 शाला भवन की जगह को अतिकमण से मुक्त कराने तथा आम रास्ता अवरूद करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही वावत।

महोदय,

निवेदन हैं कि ग्राम पंचायत दंदरौआ के ग्राम चिरील में शा0 मा0 शाला भवन का जगह ह उक्त जगह पर विद्यालय का निर्माण करना है। शासन से निर्माण हेतु राशि भी प्राप्त हो

के अपने कि कि मालकार्य गाँउ शाला की जगहर अनाये कराये विश्वस्थर सिंह, कैलाश सिंह पुत्रगण अनत राम सिंह, देवेन्द्र सिंह, लालू पुत्रगण जगन्नाथ सिंह द्वारा कण्डे इक्टे लगाकर और छतरी बना ली है। जाबांक श्रीमान कलेक्टर महोदय भवदय के प्रकरण क्रमाक 02/09/10 अ 59 आदेश दिनांक 19/04/12 को शासकीय शाला भवन निर्माण हेतु जगह आरक्षित की थी जिसके आदेश की फोटो कॉपी प्रति प्रमाण के तोर पर संलग्न है। तथा तहसीलदार महोदय द्वारा दिनांक 22/05/11 को थाना प्रभारी मो को निर्देशित कर उक्त जगह पर कोई निर्माण कार्य न करने तथा उक्त जगह को अतिक्रमण से मुक्त करने हेत लिखा था । जिसके आदेश की भी फोटो कॉपी संलग्न है।

इस प्रकार शा0 मा0 विद्यालय भवन की राशि पंचायत निधि में होने के बाबजूद भी अनावेदक गण उक्त जगह से कण्डे और छत्तरी नहीं हटा रहे है। शां शाला का निर्माण अतिशिर्घ कराया जाना ही तथा उक्त जगह पर अनावेदकगण का अतिक्रमण एवं आम रास्ता चिरौल से मडरौली पर रास्ता अवरुद्ध मिट्टी डालकर पानी रोक दिया गया है। जिसे अति शीघ हटाया जा कर अनावेदक गुणों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी मौ एवं बरिस्ट अधिकारीयों को लिखा जाना नियाय संगत है।

अतः श्रीमानाजी से निवेदन है कि ग्राम चिरौल में शा० मा० वि० शाला के जगह से अवैध अतिक्रमण के कण्डे एवं छतरी तथा ग्राम चिरौल से मंडरौली के आम रास्ता का अंवरोध हटाए जाने इहेतु भाना प्रभारी मी एवं बरीस्ट अधिकारीयो को निर्देशित कर अनावेकगणों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने की कथा करे।

MYON 116

प्रार्थी कगलेश सिंह कौरव

MINEIX

ANNEXURE - P/6

	ANNICAUTE - 1/6
	पीजी विवरणी-जन पीजी निवारण विभाग (16)
	पीजी विवरणी
पीजी क्रमांक	PGR-10021368 दिनांक - 19/12/2015
विभाग का नाम	
शिकायतकर्ता का नाम	कमलेश सिंह पुत्र श्री नवाब सिंह वर्केव
पंता	ग्राम चिरोल ग्रांभ गंचायत दंदरीआ तहसील मेहमाँव जिला शिंड मप्र
फ़ों के बर	9826212171
जिला	भिण्ड
पीजी का माध्यम	ऑनलाइन प्राप्त
पीजी का प्रारूप	
विषय	
	प्रति श्रीमानं जिलाधीश् महोदय जिला भिंड में प्रविषय - ग्राम चिरोल ग्राम पंचायत दंदरीं जा जनपद में हुआ जिमीण कार्य जनहित एवं शासनहित में अविलम्ब प्रारम्भ कराकर भवन निर्माण कराये जनहित एवं शासनहित में अविलम्ब प्रारम्भ कराकर भवन निर्माण कराये जाने बावत संदर्भ-हम प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में दिये गये अनेकों आवेदन प महोदय, उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में विनय निवेदम निम्नानुसार है 1. यह कि तत्कासीन जिलाधीश महोदय जिला भिंड द्वारा प्रकरण कमांक 02.09.10 अ 59 आदेश दिनांक 19.04.2012 द्वारा बाम की शासकीय भूमि सर्वे हमांक 182.10 रकता सम्भाग 10 विश्वा शासकीय माध्यमिक विधालय ग्राम चिरोल आरंकित एवं आवंदित की गई है, तथा उक विध्यालय अवन निर्माण के लिये वर्ष 2007 में ही राशि आवंदित होकर विधायल पीटीए संघ के खाते में जमा हो गई थी लेकिन उक्त भवन निर्माण हेतु शासकीय भूमि आवंदित होने के बाद वर्ष 2012 में उक्त भवन निर्माण हेतु शिक्षा विभाग द्वार प्रशासकीय एवं तकनीक स्वीकृति जारी करते हुये स्वीकृत राशि भी सरपंच बाई प्रशासकीय एवं तकनीक स्वीकृति जारी करते हुये स्वीकृत राशि भी सरपंच बाई प्रशासकीय एवं तकनीक स्वीकृति जारी करते हुये स्वीकृत राशि भी सरपंच बाई निर्माण का कार्य प्रारम्भ नही हुआ है, तथा उक्त विधालय वर्तमान में शासकीय कत्या प्राथमिक विधालय विरोल में संचालित किया जा रहा है जिसके विधालय की छाओं को अत्यंत असुविधा हो रही है। 2. यह कि उक्त स्वीकृत विधालय भवन की छाओं को अत्यंत असुविधा हो रही होने की बजह से भवन निर्माण हेत्
पीजी का विवरण	का निर्माण आज दिनांक तक प्रारम्भ नहीं होने की बजह से भवन निर्माण हेतु आरक्षित उक्त शासकीय विधालय की भूमि पर ग्रामवासी अवैधानिक रूप से

निवेदन हैं कि जनहित एवं शासनहित में वर्षों पूर्व उक्त शासकीय माध्यमिक भवन का निर्माण कार्य अविसम्ब प्रारम्भ कराकर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कराये जाने की क्रपा करेंा ताकि ग्राम की छाओं को असुविधा से निजात मिली सकेंा एवं छात्र छात्रों को शासकीय माध्यमिक शाला भवन उपलब्ध हो सके तथा शैक्षणिक गतिविधियाँ सुचारू रूप से चलाई जा सके दिनांक 17.12.2015 प्रार्थीगण कमलेश पुत्र श्री नवावसिंह कौरव , प्रीतम सिंह , मायाराम सिंह , सुरेशसिंह पटेल , निरंजन खान , केदार खान , एवं समस्त ग्राम वासी ग्राम चिरोल ग्राम पंचायत दंदरीआ तहसील मेहमाँव जिला भिंड मप्र प्रतिलिपि - 1 माननीय राज्यपाल महोदय मप्र शासन भोपाल 2 माननीय मुख्य मंत्री महोदय मध्र शासन भोपाल 3 माननीय शिक्षा मं्री महोदय मप्र शासन भोपाल 4 श्रीमान अध्यक्ष-महोदय राज्य मानव अधिकार आयोग मप्र शासन भोपाल 5 श्रीमान अध्यक्ष महोदय राज्य पिछड्ा वर्ग आयोग मप्न शासन भोपाल ६ श्रीमान मुख्य सचिव महोदय मप्र शासन भोपाल । श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय शिक्षा विभाग मप्र शासन भोपाल ८ श्रीमान आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर ९ श्रीमान सी.ई.ओ. महोदय जिला पंचायत भिंड 10 श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जिला भिंड मप्र उपरोक्त सभी की और भेजकर निवेदन है कि उक्त जनहित एवं शासनहित के आवेदन पृ पर अविसम्ब कार्यवाही करने की कपा करेंा प्रार्थीगण से निसकरण प्राप्त नहीं कुत निराक्तस्यः 🚙 अन्तरः पोजी की स्थिति शिकायत दर्ज कर दी गया है Attach Document प्रिंट पावती

Powered by Surevin

The con

पीजी का विवरण

निराकरण

प्रिंट पावती

पीजी की स्थिति

Attach Document

पीबी क्रमांक 10024390 बोबे

पींजी का विवरण

पीजी विवरणी-जन पीजी जिंबारण विकास पीजी विवरणी PGR-10024390 दिनांक - 05/01/2016 पीजी क्रमांक विभाग का नाम शिकायतकर्ता का नाम कमलेश सिंह कौरय एवं समस्त ग्राम वासी ग्राम विस्था ग्राम पंचायत देशरील सुरक्षित मेहनोब जिसा क्षिष्ट पता 9826212171 फ़ोन नंबर भिण्ड जिला षीजी का माध्यम ऑनलाइन प्राप्त पीजी का प्रारूप विषय प्रति श्रीमान जिलाधीश् महोदय जिला भिंड मप्र विषय - ' साम चिरोल ग्राम पंचायत दंदरौआ जनपद मेहगाँव जिला बिंह में स्वीकृत शास्त्रीय बाध्यमिक शाला अवन का वर्षों से रुका हुआ निर्माण कार्य जनहित एवं शासनहित में अविलम्ब प्रारम्भ करावर भवन निर्माण कराये जाने बावत संदर्भ- हम प्रार्थीमण द्वारा पूर्व में दिये गये अनेकों आवेदन प= पी.जी.आर. आवेदन क्रमांक 10021368.15 एवं जनसुनवाई आवेदन दिनाक 22.12.2015 महोदय, उपरोक्त कियर एवं संदर्भ में विनम निवेदन निम्नानुसार है 1. यह कि तत्कालीन जिलाधीश महोदय जिला भिंड द्वारा प्रकरण क्रमांक 02.09.10.31 59 आदेश दिनांक 19.04.2012 द्वारा ग्राम की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 182.10 रकवा लगभग 10 विश्वा शासकीय माध्यमिक विधालय ग्राम चिरोल आरक्षित एवं आवंदित की गई है, तथा उक्त विध्यालय भवन निर्माण के लिये वर्ष 2007 में ही राशि आवंटित होकर विधायलय पीटीए संघ के खाते में जमा हो गई थी लेकिन उक्त भवन निर्माण हेतु

*	And a second resemble to the second s
	शासकीय भूमि आवंटित ना होने की बजह से निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा था
	उक्त भूमि आवंटित होने के बद्ध वर्ष 2012 में उक्त भवन निर्माण हेतु शिक्षा विभाग द्वारी
	प्रशासकीय एवं तकनीकि स्वाकृति जारी करते हुये स्वीकृत राशि भी सरघंच ग्राम
	पंचायत दंदरीआ के खाते में समा करा दी थी लेकिन आज दिनांक तक उक्त भवन
	निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, तथा उक्त विधालय वर्तमान में शासकीय कन्या
	प्राथमिक विधालय चिरोल में संचालित किया जा रहा है जिससे विधालय की छाओं को
	अत्यंत असुविधा हो रही है। 2. यह कि उक्त स्वीकृत विधालय भवन का निर्माण आज
	दिनांक तक प्रारम्भ नहीं होने की बजर से भक्न निर्माण हेतु आरक्षित उक्त शासकीय
	विधालय की भूमि पर ग्रामवासी अवैधानिक रूप से अतिक्रमन करने लगे है जो सर्वथा
	अनुचित है। अत श्रीमान जी से पुन विनम निवेदन है कि जनहित एवं शासनहित में जूर्वो,
.	पूर्व उक्त शासकीय माध्यमिक शाला भवन का निर्माण कार्य अविलम्ब प्रारम्भ करकिर
٠.	भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कराये जाने की कपा करेंा ताकि ग्राम की खाओं को
	असुविधा से निजात मिल संकेंा एवं छाछाओं को शासकीय माध्यमिक शाला भवन
	उपलब्ध हो सके तथा शैक्षणिक गतिविधियों सुचारू रूप से चलाई जा सकेंा उक्त
İ	जनहित के मामले में यदि आवेलम्ब न्याय प्रदान नहीं किया गया तो हम प्रार्थींगण को
	मजबूरन माननीय न्यायालय की श्रन लेना पड्ेगी जिसकी समस्त जबाबदारी शासन
-	प्रशासन की होगी। दिनांक 05.01.2016 प्रार्थींगण कमलेश पु.श्री नवावसिंह कौरव ,
	प्रीतम सिंह , मायाराम सिंह , सुरेशसिंह पटेल , निरंजन सान , केवार आन् , एवं समस्त
	ग्रीमें वासी ग्राम चिरोल ग्राम पंचायूत देवरीओ तहसील महगाँच जिला मिड मप्र मो.
	9826212171 प्रतितिपि –' 1 गाननीय राज्यपाल महोदय मप्र शौरान भौपाल 2
,	माननीय मुख्य मंी महोदय मप्र शासन भोषाल 3 माननीय शिक्षा मंी महोदय मप्र
	शासन भोपाल ४ श्रीमान अध्यक्ष महोदय राज्य मानव अधिकार आयोग मग्र शासन
	भोपाल ५ श्रीमान अध्यक्ष महोदय राज्य पिछड्ा वर्ग आयोग मप्र शासन भोपाल ६
	श्रीमान मुख्य सचिव महोदय मप्र शासन भोपाल ७ श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय शिक्षा
	विभाग मप्र शासन भोपाल ८ श्रीमान आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर ९
	श्रीमान सी.ई.ओ. महोदय जिला पंचायत भिंड 10 श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी
	महोदय जिला मिंड मप्र उपराक्त सभी की और भेजकर निवेदन हैं कि उक्त जनहित एवं
	शासनहित के आवेदन पृ पर अवितम्ब कार्यवाही करने की क्रपा करेंा प्रार्थीगण
- -	से निराकरण प्राप्त नहीं हुआ
	शिकायत दर्ज कर दी गयी है
	,

Powered by Surevin

िट कर्त

यह कि उक्त स्वीकृत विधालय अवन का निर्माण आज दिनांक तक प्रारम्ह्य नही

छा्ाओं को असुविधा से निजात मिल सर्केा एवं छा्छाओं को शासकीय

माध्यमिक शाला अवन उपलब्ध हो सके तथा शैक्षाणिक मतिविधियाँ सुचार रूप से

श्रीमान जिलाधीश् महोदय जिला शिंड मप्र

विषय - याम विरोज साम पंचायत दंदरीका जवपद मेहर्मीय जिला बिंह में स्थीकृत शासकीय माध्यमिक शासा अवन का वर्षों से स्का हुआ विर्माण कार्य जनहित एवं शासनहित में अविसम्ब प्रारम्भ कराकर भवन निर्माण करावे जाने कारत

संदर्भ-हम प्रार्थीनण द्वारा पूर्व में क्रिये वये अवेकां आवेदन प

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में विनम निवेदम निम्नानुसार है

यह कि तत्कालील जिलाधीस महोदय जिला मिंड द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/09/10 म 59 आदेश किलांक 19/04/2012 द्वारा साम की शासकीय भूमि सर्वे इत्मांक 182/10 रकवा लगभग 10 विश्वा शासकीय माध्यमिक विधालय ग्राम शिरोल आरक्षित एवं आवंटित की गई है, तथा उक्त विश्वालय भवन निर्माण के लिये वर्ष 2007 में ही राशि आवंटित होकर विधायलय पीटीए संघ के सात में जमा हो गई थी लेकिन उक्त भवन निर्माण हेतु शासकीय कृति आवंटित होने की बजह से निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा थाल उक्त भूमि आवंटित होने के बाद वर्ष 2012 में उक्त भवन मिर्माण हेतु शिक्षा विशाल द्वारा प्रशासकीय एवं तकनीकि स्वीकृत जारी करसे हुचे स्वीकृत राशि भी सरपंच साम पंचायत दंदरीआ के बात में जमा करा दी थी लेकिस अच्छ दिखांक तक उक्त अवन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, तथा उक्त विशालय वर्तमाल में सामकीय कन्या प्रायमिक विधालय विरोल में संचालित किया जा रहा है जिससे विधालय की छा्ाओं को अत्वंत असुविधा हो रही है।

होने की बजह से अवन निर्माण हेतु आरक्षित उक्त शासकीय विधालय की अभि पर बामवासी अवैधानिक रूप से अतिक्रमन करने तमे हैं जो सर्वया अनुवित है। अत श्रीमान जी से पुन विनय निर्वदम है कि जनहित एवं शासनहित में क्यों पूर्व उक्त शासकीय माध्यमिक शासा अवन का निर्माण कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कराकर अवन निर्माण का कार्य पूर्ण कराये जाने की कृपा करें ताकि बाम की

चलाई जा सकेंा

दिनांक 22/12/2015

क्रमलेशासिंह की प्र

कमलेश पुर की नवावसिंह कौरव , प्रीतम सिंह , माबाराम सिंह , सुरेशसिंह पटेल , निरंजन खान , केदार बान , एवं समस्त बाम वासी ग्राम चिरोल स्थान पंचायत दंवरीका सहसील मेहमॉय जिला मिंड

(W)

प्रतिशिप -

- 1 माननीय राज्यपाल महोदय मप्र शासन शीपक
- 2 माननीय मुख्य मंूी महोदय मप्रशासन शोपास
- 3 माननीय विक्षा मंृी महोत्य मप्रशासन भोपास
- 4 श्रीमान अध्यक्ष महोदय राज्य मानव अधिकार आयोग मंत्र शासन भौपाल
- 5 श्रीमान अध्यक्ष महोदव राज्य पिछड्ा वर्ग आयोग मग्न शासन शोपास
- 6 श्रीमान मुख्य सचिव महोदय मप्र शासन औपात
- 7 श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय शिक्षा विभाग मप्र शासन भोपान
- 8 श्रीमान आयुक्त महोदय ग्वासियर संभाग ग्वासियर
- '8 श्रीमान सी.ई.ओ. महोदय जिला पंचायत जिंह
- 10 श्रीमान जिला विशा अधिकारी महोदय जिला जिंह मध उपरोक्त सभी की ओर शेजकर निवेदन हैं कि उक्त जनहित एवं शासनहित के आवेदन पृ पर अविशमय कार्यवाही करने की कुपा करेंा

प्रार्थींगण कामारिय

WW. Carl

प्रति

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला मिण्ड, (म०प्र०)

कमलेश सिंह कौरव पुत्र श्री नवाद सिंह कौरव आदि निवासीगण ग्राम विशेश ग्राम पंचायत दंदरीया तहसील मेहणांव जिला मिण्ड

विषय- त्वरित कार्यवाही बावत् ।

उपरोक्त विषयांकित आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र क्रमांक क्यू जनसुनवाई कले /2015 / 42206 मिण्ड, दिनांक 22 / 12 / 2015 से विभाग प्रमुख को प्रेषित किया गया है। यदि विषयांकित आवेदन में वर्णित तथ्यों के पिरोप्रेक्ष में किसी सद्धम न्यायालय में पृथक से कोई प्रकरण दर्ज नहीं हो तो ऐसी स्थित में प्रस्तुत आवेदन पत्र पर सम्बंधित विभाग द्वारा समुवित कार्यवाही उपरान्त उत्तर जनसुनवाई पर 10 दिवस के अन्दर अनिवार्यलः कार्यवाही करना सुनिष्वित करेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के 10 दिवस एष्ट्रात, आवेदन सम्बंधित विभाग प्रमुख से शुक्रवार को उनके कार्यालय में दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक सम्पर्क कर कृत कार्यवाही ज्ञात कर सकेंगे, अथवा बेबसाइट www.bhind.nic.in पर भी कार्यवाही का विवरण स्वतः ज्ञात किया जा सकता है।

विभाग प्रमुख : डी.पी.सी.मिण्ड



Viveri at



कार्यालय, आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र

(स्कूल शिक्षा विभाग) बी-विंग, पुस्तक भवन, भोपाल, मुप्र

कं./रा.शि.के./सतर्कता-विधि/न्याया/२०१६/1994

भोपाल,दिनांक-१५,मार्च २०१६

सिविल प्रकिया संहिता 1908 का अधिनियम संख्या कं0 5 के आदेश सत्ताईस के नियम तथा २ के अधीन तथा म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश कं0एफ-16/517/97/वि०प्र०/२०, दिनांक 28.1.99 द्वारा आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र,मध्यप्रदेश को प्रत्यायोजित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला परियोजना समन्वयक, भिण्ड को न्यायालयीन प्रकरण कमांक 484/2016 द्वारा श्री कमलेश सिंह कौरव विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी बनाया जाकर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करते है। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि ०मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बार्तो के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये निम्नलिखित कार्य करेगाः-

- 1. प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, रिपार्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट रूप से की जाएगी।
- 2. समस्त सुसंगत फाइलें दस्तावेज नियम अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- 3. वाद-पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना हो एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- 4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- 5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।
- 6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
 - वाद-पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 - प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप!
 - उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 - मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां। इसमें बाद की सुनवाई की तारीख वर्णित होनी चाहिए।
- 7. मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रकम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
- 8. जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध धारित किया गया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- 9. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्रवाई किए जाने के लिए इस विभाग को भेजना।
- 10. यह देखना कि आवेदन करने में क्या प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करनें, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
- 11. जैसे ही उसे अपना स्थानान्तर आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।
- 12. प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छपी हुई न

13. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार ही करेगा। निर्णय की एक प्रवि अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।

14. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिए उतरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद प्रकम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है,समय पर कार्रवाई की गई है। अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जाए विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश भोपाल दिनांक-.... मार्च 2016

पृष्ट्यं.कं./रा.शि.के./सतर्कता-विधि/न्याया./२०१६/199 ८ प्रतिलिपि:-

अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।

2 प्रमुख सविव/सविव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।

3 अति. महाअधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर को न्यायालयीन प्रकरण कमांक डब्ल्यू.पी. 484/2016 द्वारा श्री कमलेश सिंह कौरव विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य के संबंध में सुचनार्थ।

4 जिला परियोजना समन्वयक, भिण्ड की ओर पालनार्थ। कृपया नियत समय में जवाबदावा प्रस्तुत

कर इस कार्यालय को अवगत करायें।

5 जिला परियोजना समन्वयक एवं नोडल अधिकारी, जिला शिक्षा केन्द्र, ग्वालियर की ओर सुचनार्थ ।